पटना नगर निगम

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

पटना शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रतिक्षालय, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, सभा कक्ष, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

ह॰/–
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

ज्ञाप संख्या : /प.न.नि., पटना, दिनांक– /2013
प्रतिलिपि : सभी अपर नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाध्किारी/सूचना एवं जन सम्पर्क पदाध्किारी/नगर मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

ज्ञाप संख्या : 3727 /प.न.नि., पटना, दिनांक–17/09 /2013
प्रतिलिपि : सचिव, शहरी विकास विभाग/स्वास्थ्य सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/राज्य कार्यक्रम पदाध्किारी/राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्राण कार्यक्रम/जिला पदाध्किारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्राण समन्वय समिति, पटना/कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाईटी ;सीड्सद्ध, 303 बसन्ती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑपिफस रोड, पुनाईचक, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/09/13
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

पटना नगर निगम

आदेश

धूम्रपान मुक्त मौर्यालोक परिसर

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है एवं यह दण्डनीय अपराध है। अतः **मौर्यालोक परिसर को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है।** यदि इस परिसर में कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो उल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जा सकता है।

मौर्यालोक परिसर के सभी सरकारी /गैर सरकारी औफिस के व्यवस्थापक, एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों एवं समस्त नागरिकों से अपील है कि तम्बाकू नियंत्रण कानून का पूर्ण सम्मान करें और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न धुम्रपान करें और न इसको बढावा दें, ताकि अप्रत्यक्ष धुम्रपान के कुप्रभावों से आम जनता को बचाया जा सके।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक संख्या : 3868 दिनांक : 28/09/13

प्रतिलिपि : सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, पटना नगर निगम को निदेशित किया जाता है कि इस आशय की सूचना पटना से प्रकाशित होने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।

28/09/13
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

धूम्रपान रहित क्षेत्र यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है।

उल्लंघन करने पर 200/– रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

अगर आप को कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते दिखाई देता है
तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।

अपर नगर आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी
(तम्बाकू नियंत्रण), पटना नगर निगम, पटना
मो॰ नं॰ : 09470488560

आदेशानुसार–नगर आयुक्त, पटना नगर निगम